अध्याय - 15

सतर्कता संबंधी कार्यकलाप एवं उपलब्धियाँ

15.1 सतर्कता ढांचा

कोयला मंत्रालय अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले 10 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा एक स्वायघशासी निकाय के सतर्कता प्रशासन और मंत्रालय के स्टाफ के संबंध में सतर्कता पर्यवेक्षण और नियंत्रण का कार्य करता है। संयुक्त सचिव सह–मुख्य सतर्कता अधिकारी अंशकालिक आधार पर मंत्रालय के सतर्कता ढांचे के प्रमुख हैं। इस कार्य में एक निदेशक, एक अवर सचिव एवं एक अनुभाग अधिकारी उनकी सहायता करते हैं। कोल इंडिया लि., इसकी सहायक कंपनियों, नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन और कोयला खान भविष्य निधि संगठन के सतर्कता स्कन्धों के प्रमुख पूर्णकालीन मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं। सीआइएल और इसकी सहायक कंपनियों, नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन और कोयला खान भविष्य निधि संगठन के सतर्कता संगठन में लगभग 300 कार्यपालक/गैर–कार्यपालक हैं।

कोयला और लिग्नाइट के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और कोयला खान भविष्य निधि संगठन का निगरानी प्राधिकारी होने के कारण मंत्रालय इन संगठनों में प्रचलित प्रध्याओं और पद्धतियों को कारगर बनाने तथा सतर्कता विभागों के कार्यकरण की निगरानी करने पर विशेष ध्यान देता है।

15.2 कोल इंडिया लिमिटेड(सीआईएल)

कोल इंडिया लि. (सीआईएल) 8 सहायक कंपनियों की धारक कंपनी है। सीआईएल तथा इसकी सहायक कंपनियों में भ्रष्टाचार रोधी कार्यकलापों को केन्धीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के साथ परामर्श से कार्यकाल के आधार पर विभिन्न सरकारी सेवाओं से चुने गए भारत सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य सतर्कता अधिकारी की अध्यक्षता में सहायक कंपनियों में सतर्कता विभाग की स्थापना करके उन्हें मूर्त रूप दिया गया है।

मुख्य सतर्कता अधिकारी, सीआईएल सीआईएल के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन विभागों एवं कार्यालयों के सतर्कता कार्यकलापों की मॉनीटघ्रग करने के साथ–साथ पूर्वोघर कोलफील्ड (एनईसी) के ऐसे मामलों की भी जांच/मॉनीटरिंग करते हैं जिसे सीआईएल सतर्कता को सीवीसी/एमओसी द्वारा संदघ्भत किया जाता है। वे सहायक कोयला कंपनियों विशेषरूप से अध्यक्ष, सीआईएल द्वारा संदर्भित अथवा सीआईएल सतर्कता विभाग में प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त स्रोत सूचना की शिकायतों के आधार पर अधिकारियों के विरूद्ध विशिष्ट शिकायतों की भी जांच करते हैं। सहायक कोयला कंपनियों के साथ समन्वय किया जाता है क्योंकि सीआईएल के सतर्कता विभाग को सीवीसी, एमओसी,

सीबीआई जैसी संस्थाओं के साथ तथा इस तथ्य को देखते हुए भी कि सीएमडी, सीआईएल कार्यपालक संवर्ग कर्मचारियों के मामले में नियुक्ति/अनुशासनिक/अपीलीय प्राधिकरण हैं, तालमेल करना पड़ता है । इस प्रकार विभिन्न सहायक कंपनियों के सतर्कता विभाग तथा उनके सीएमडी के बीच परस्पर तालमेल की जाती है । सीवीओ, सीआईएल को सीआईएल के सतर्कता ढांचे, सतर्कता संवर्ग मामले, अंतर सहायक कंपनी सतर्कता मामले, सीआईएल सतर्कता द्वारा सहायक कंपनियों के सीवीओ को संदर्भित मामले में समन्वय अधिकारी के रूप में कार्य करने को कहा गया है ।

प्रमुख कार्यों में से एक है सीआईएल प्रबंधन अथवा एमओसी अथवा सीवीसी अथवा पीईएसबी द्वारा अपेक्षित विभिन्न अधिकारियों की सतर्कता जानकारी के बारे में रिपोर्ट करना। जहां तक पदोन्नति/सेवानिवृधि के मामलों का संबंध है सीआईएल/एनईसी/आईआईसीएम /क्षेत्रीय बिघ्य कार्यालय के उन अधिकारियों की सतर्कता सूचना सीआईएल के काघ्मक विभाग को भेजी जाती है जो उन कार्यालयों में तैनात हैं / थे । इसी प्रकार बोर्ड स्तर के पदों पर चयन/नियुक्ति के मामलों में विभिन्न सहायक कंपनियों से तथा सीआईएल (मुख्यालय) के सतर्कता विभाग के दस्तावेजों के अनुसार प्राप्त संबंधित अधिकारी की सतर्कता संबंधी जानकारी विभिन्न प्राधिकरणों अर्थात एमओसी/सीवीसी/पीईएसबी को भेजी जाती है । इस अवधि के दौरान अधिकारियों के विरूद्ध कुल 3 अभियोजन स्वीकृत किए गए थे । विस्तृत सहायक कंपनी–वार कार्यकलाप नीचे दिए गए हैं:–

15.2.1 नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. (एनसीएल)

सामान्य प्रबंधन कार्यघ्म के संबंध में भारत के प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद में एनसीएल और बीसीसीएल के 39 वरिष्ठ स्तर के कार्यपालकों को प्रशिक्षित किया गया था । बाद में इसे कोल इंडिया द्वारा अपने मध्यम स्तर के प्रबंधन कार्यपालकों को प्रशिक्षित करने हेतु अपनाया गया।

कोयला परिवहन के लिए जीपीएस आधारित वाहन ट्रैकिंग प्रणाली के साथ–साथ आरएफआईडी प्रणाली, बूम बैरियर, स्नेप शॉट के लिए कैमरा तथा कोयले की चोरी रोकने के लिए टर्न की आधार पर वर्तमान वे–ब्रिज प्रणाली के साथ एकीकरण करते हुए टेंडर जारी किया गया है । 16 जनवरी, 2014 को वर्क आर्डर जारी किया गया था।

अक्टूबर, 2013 में ई–प्रोक्यूरमेंट शुरू किया गया है तथा सभी परियोजनाओं ने जून, 2014 से ई–प्रोक्यूरमेंट के माध्यम से निविदा प्रघ्या शुरू कर दिया है। सभी 1726 कार्यपालकों ने ऑनलाइन वाघ्षक संपधि रिटर्न (एपीआर) भर दिया है। 82 औचक निरीक्षण किए गए थे। सतर्कता विभाग द्वारा ऑपरेटर इंडिपेंडेंट ट्रक

डिस्पेच सिस्टम (ओआईटीडीएस) कार्यान्वयन प्रध्यिा तथा एकीकृत बिजनेस समाधान (आईबीएस) जो एनसीएल में प्रयोग किया जाने वाला उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) पैकेज है, को पुनः चालू किया गया है। आईबीएस अब 5 मॉड्यूलों अर्थात सामग्री प्रबंधन मॉड्यूल, अनुरक्षण मॉड्यूल, उत्पादन मॉड्यूल, बिघ्य मॉड्यूल तथा प्रबंधन सूचना प्रणाली में कार्य कर रहा है।

एनसीएल में कोलनेट, एक ईआरपी पैकेज दो चरणों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

15.2.2 भारत कोघ्कग कोल लि. (बीसीसीएल)

विघ वर्ष 2013–14 के दौरान बीसीसीएल के सतर्कता विभाग ने सतर्कता के तीनों पहलुओं अर्थात दण्डात्मक सतर्कता, खोज एवं जांच तथा रोकथाम सतर्कता में कई उपाय किए हैं।

रोकथाम सतर्कता के रूप में सतर्कता विभाग की सलाह के अनुसार कंपनी द्वारा 18 परिपत्र/ दिशानिर्देश जारी किए गए थे। सीवीसी, सीआईएल एवं बीसीसीएल के परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों की सूची सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2013 के दौरान प्रकाशित की गई थी ।

इस अवधि के दौरान ऑनलाइन बजट मॉनीटघ्रग प्रणाली को प्रचालनरत किया गया है। वर्ष 2013–14 के दौरान 33 औचक जांच किए गए थे । जिसके फलस्वरूप आगे की जांच हेतु 5 नियमित मामले दर्ज किए गए। इस अवधि के दौरान सतर्कता विभाग ने 6 सीटीई प्रकार की गहन जांच भी किया।

विघ वर्ष 2013–14 के दौरान दण्डात्मक सतर्कता के मामले में सतर्कता विभाग ने जांच हेतु 19 नियमित मामले दर्ज किए हैं। इन 19 मामलों में से 2 मामलों में जांच प्रगति पर है, 21 अधिकारियों के विरूद्ध समुचित कार्रवाई के पश्चात 5 मामलों को बंद कर दिया गया है । शेष 12 मामलों में जांच पूरी कर ली गई है तथा 42 अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई शुरू कर दी गई है तथा 18 फर्मों को काली सूची में डाल दिया गया है।

उपर्युक्त के अलावा, सीबीआई ने 5 मामले दर्ज किए हैं जो अवैध इनाम की मांग करने तथा स्वीकार करने के संबंध में है (1) असंगत परिसंपघि तथा 2 अधिकारियों के विरूद्ध अभियोजन हेतु स्वीकृति।

15.2.3 महानदी कोलफील्ड्स लि. संबलपुर, ओडिशा

महानदी कोलफील्ड्स लि. संबलपुर, ओडिशा में सतर्कता आवश्यक है तथा प्रबंधन कार्यों का अभिन्न घटक है।

इस तथ्य को स्वीकारते हुए संविदागत बिल भुगतान, असफल बोलीदाताओं को ईएमडी वापस करने, कोयला परिवहन, कोयला भंडार का नाप, विभागीय एवं आउटसोर्स ओवरबर्डन रिमूवल भ्रष्टाचार के लिए संवेदनशील क्षेत्र रहे

हैं, कोलनेट स्थिरीकरण, ईएमडी का ऑटो रिफंड, आरएफआईडी (रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटीफिकेशन ऑफ कोल कैरिइंग टिपर्स) सहित इन–मोशन रोड–वे–ब्रिज की स्थापना, कोयला स्टॉक नाप में एसयूआरपीएसी साफ्टवेयर का प्रयोग, ओवरबर्डन रिमूवल के लिए ऑनलाइन (सिस्टम ड्रिवेन) टक डिस्पेच सिस्टम (ओआईटीडीएस) का सुदृढ़ीकरण जैसे कई ई–पहलें शुरू की गई हैं तथा इनकी क्षमता और प्रभावोत्पादकता बढ़ाने के लिए और भी प्रयास किए जा रहे हैं । आईटी समध्थत इन सेवाओं से कोर बिजनेस प्रचालनों में भ्रष्टाचार/शिकायतों के मामले को कम करने के अलावा, कंपनी के कोर बिजनेस प्रचालनों में व्यापक पारदध्शता होगी।

यद्यपि रोकथाम सतर्कता को अत्यधिक महत्व दिया गया है, सतर्कता विभाग द्वारा जब कभी कोयला स्टाक माप, कोयला परिवहन, वित्तीय लेनदेन में अनियमितताओं, सत्यनिष्ठा में कमी आदि पायी गयी हैं, दण्डात्मक सतर्कता उपाय भी किए गए हैं। दण्डात्मक मामले में 29 अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है तथा वर्ष 2013–14 में 23 अनुशासनिक कार्रवाई को अंतिम रूप दिया गया है।

15.2.4 ईस्टर्न कोलफील्डस लि. (ईसीएल)

संगठन में पारदर्शिता, उचित एवं सक्षम कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने में इसके महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए सतर्कता कार्यकलापों को सही मायने में इसीएल में प्रबंधन कार्यों के साथ समेकित किया गया है । 65 औचक निरीक्षण किए गए हैं तथा प्रणाली सुधार उपायों पर बल देते हुए काफी संख्या में गहन जांच शुरू की गई है । तथापि, रोकथाम सतर्कता पर फोकस जारी है जिसके परिणामस्वरूप प्रणाली में चोरी व उठाईगिरी में नियंत्रण के माध्यम से कंपनी को काफी बचत हुई है। ईसीएल के कार्यपालकों/गैर कार्यपालकों, ग्राहकों, सप्लायर्स/वेंडरों, यूनियन लीडरों आदि जैसे विभिन्न स्टेकधारियों के लिए सतर्कता विभाग द्वारा चलाए गए 4 जागरूकता सह–प्रेरक कार्यध्मों से कंपनी को काफी लाभ हुआ है। ई–प्रापण, ई–भुगतान डिस्काउंट विध्डग, सीसीटीवी, शिकायत दर्ज करने के लिए टोल धी हेल्प लाइन के माध्यम से प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने हेतु किए गए उपायों से संगठन के निष्पादन में अपार वृद्धि हुई है।

डॉक/डिस्पेच प्रणाली, प्रापण को सुचारू बनाने हेतु एक व्यापक प्रणाली सुधार उपाय शुरू किया गया था तथा डस्ट बांड/आयोनाइजर तथा फायर रिटारडेंट सीलेंट, कोयला कार्ड का अनुरक्षण जैसे सुरक्षा मदों को लागू किया गया था जिससे कि घरेलू कोयला, विस्फोटकों के रख–रखाव तथा विस्फोट मैगजिन की चोरी रोकी जा सके।

जानबूघकर तथा गलत नीयत से की गई अनियमितताएं पाई जाने पर कठोरता से

कार्रवाई की गई है तथा संगत आचार नियमावली के अंतर्गत यथा निर्धारित कठोर दण्डात्मक कार्रवाई की गई है। 9 व्यध्यिों को विभिन्न प्रकार के दण्ड दिए गए जिसमें 3 मामलों में ''बर्खास्तगी'' शामिल है।

ई–निविदा पूरी तरह प्रचालन में है तथा लगभग 1287 करोड़ रूपए की राशि के लिए 410 निविदाएं जारी की जा चुकी हैं । निविदा प्रक्रिया पूरी करने की औसत अवधि वर्तमान वर्ष में 104. 86 दिन से घटकर 52.54 दिन हो गयी है। डिस्काउंट ब्रिर्डिग शुरू होने से सभी बोलियों में पर्याप्त लागत कटौती हुई है। ई–भुगतान अनिवार्य बना दी गई है। एक टोल फ्री हेल्प लाइन शुरू की गई है।

15.2.5 वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यूसीएल)

सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया तथा वाद–विवाद/भाषण प्रतियोगिता, कार्यशाला तथा ई–निविदा एवं ई–प्रापण पर व्याख्यान सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। 237 शिकायतों में से 217 का निपटान किया गया। 10 आरडीए मामलों में विभागीय जांच शुरू की गई थी। इसके अलावा सीबीआई ने 7 नियमित मामले दर्ज किए हैं। 13 मामलों में 7 कर्मचारियों तथा 12 मामलों में 23 कर्मचारियों पर भारी दण्ड लगाया गया। 23 औचक निरीक्षण किए गए थे। ई–निविदा तथा ई–प्रापण पूरी तरह कार्यान्वित की गई है, नागपुर क्षेत्र में 140 वाहनों पर जीपीएस ट्रेकिंग प्रणाली लगाई गई है। रोड–वे–ब्रिज परियोजनाओं में 102 सीसीटीवी स्थापित किए गए हैं।

15.2.6 साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एसईसीएल)

167 शिकायतों में से 144 का निपटान किया गया था तथा 18 विभागीय जांच पूरी कर ली गई थी । 34 विभागीय जांच में से 18 पूरी कर ली गई थी। सीबीआई ने 4 नियमित मामले दर्ज किए हैं। 12 मामलों में 15 कर्मचारियों पर भारी दण्ड तथा 12 मामलों में 16 कर्मचारियों पर लघु दण्ड लगाया गया था। सतर्कता जागरूकता सह व्यिघ्त्व विकास कार्यघ्म के रूप में 12 जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की गईं थीं। 4 सतर्कता कार्यशालाएं आयोजित की गईं थी।

10 लाख रूपए की सीमा को घटाकर 2 लाख रूपए कर देने से अधिकांश क्रय निविदाओं को मुक्त प्रतिस्पर्धी बोली वर्ग के अंतर्गत लाया गया है । विशेष अभियान के रूप में एसईसीएल के सभी कार्यपालकों के वाघ्षक संपघि रिटर्न की जांच की गई थी। सतर्कता विभाग द्वारा एक अध्ययन किया गया था तथा ऐसे 6548 क्वार्टरों की पहचान की गई जिनमें अनधिकृत दखल था तथा उचित प्रघ्या के माध्यम से इन्हें खाली कराया जा रहा है। ई–प्रापण, ई–भुगतान, ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली, एपीआर फाइघ्लग तथा उत्पादन/प्रेषण रिपोटिंग

प्रणाली जैसी विभिन्न तकनीकी पहलें शुरू की गई हैं। इस अवधि के दौरान 29 औचक निरीक्षण किए गए हैं।

15.2.7 सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सीसीएल)

जनवरी, 2013 में प्रापर्टी रिटर्न प्रावधानों, नियमों तथा फार्मेटों के संबंध में 2 कार्यशालाएं आयोजित की गईं थीं। ''जांच मामलों,'' प्रबंधन प्रशिक्षुओं के लिए सतर्कता जागरूकता ''के ऊपर व्याख्यान दिए गए थे। चूंकि इस वर्ष के सतर्कता जागरूकता सप्ताह का मुख्य आधार **''सुशासन को बढ़ावा देना–सतर्कता का सकारात्मक योगदान''** था, सीसीएल सतर्कता ने ''सिविल एवं क्रय ठेका में सामान्य अनियमितताएं'' विषय पर एक कार्यशाला आयोजित किया है तथा **''सुशासन को बढ़ावा देना– सतर्कता का सकारात्मक योगदान''** पर एक चर्चा आयोजित की है । इसके अलावा, ''आचरण अनुशासन तथा सीआईएल की अपील नियमावली एवं सतर्कता जागरूकता'' विषय पर कार्यशालाएं आयोजित की गईं थीं।

रोकथाम सतर्कता के अंतर्गत सीसीएल सतर्कता ने प्रणालीबद्ध सुधार हेतु उपायों की सिफारिश की है । इस अवधि के दौरान लगभग 18 सुघाव दिए गए हैं जिसमें कार्यपालकों/गैर कार्यपालकों का संवेदनशील पदों से गैर संवेदनशील पदों पर रोटेशन के आधार पर स्थानांतरण; डब्लयूएएन के माध्यम से क्षेत्रीय भंडारों को केन्धिय भंडारों से परस्पर जोड़ना ; ई–भुगतान के माध्यम से ईएमडी वापस करना शामिल है। विभिन्न अनियमितताओं की जांच के लिए कुल 13 नियमित जांच शुरू की गई थी तथा 29 औचक निरीक्षण किए गए हैं। 71 कार्यपालकों के वाघ्षक प्रापर्टी रिटर्न की जांच की गई है। 15 मामलों में कुल 29 व्यघ्यिों पर भारी दण्ड तथा 3 मामलों में 3 व्यघ्यिों पर दण्ड लगाया गया है।

कोलनेट मॉड्यूल /डब्ल्यूएएन लगाने, समेकित जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन ट्रेकिंग तथा आरआईएफडी वे प्रणाली के कार्यान्वयन के साथ समूचे सीसीएल कमान क्षेत्र के लिए सीसीटीवी सहित व्यापक रूप से आईटी पहलें शुरू की गई हैं। वर्ष 2012 से सीसीएल के कार्यपालकों द्वारा ऑनलाइन प्रापर्टी रिटर्न भरना शुरू किया गया था।

सीसीएल ने सभी परिवहन ठेकों के मामलों में ई–निविदा के माध्यम से रिवर्स नीलामी शुरू किया है । 202 मामलों में रिवर्स बोली पूरी कर ली गई है। ई–प्रापण के माध्यम से लगभग 470 मामलों में प्रापण हासिल किया गया है।

15.3 नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एनएलसी)

एनएलसी में सतर्कता वेब पेज में विभिन्न सूचनाएं दी गई हैं जिसमें ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा, शिकायत ट्रेकिंग प्रणाली

जिसे सीवीओ के ई–मेल से जोड़ा गया है, शामिल है । शिकायतों की वेहतर मॉनीटघ्रग एवं त्वरित निपटान हेतु एनएलसी इन्ट्रानेट में शिकायत ट्रेकिंग प्रणाली लगायी गयी है। वेंडर भुगतान के लिए विघ विभाग द्वारा बिल निगरानी प्रणाली शुरू की गई है तथा प्रतिदिन अद्यतन की जाती है।

ओबी और लिग्नाइट के आउटपुट का मैनुअल माप से बचने के लिए खानों में एसयूआरपीएसी ऑटोमेशन कार्यान्वित की गई है। निविदाएं सेंट्रल पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल के माध्यम से प्रकाशित की जाती है। नेयवेली एवं बरघ्सग परियोजना में विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर निगरानी कैमरे लगाए गए हैं।

15.4 कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ)

सीएमपीएफओ मुख्यालय, धनबाद तथा इसके 24 क्षेत्रीय कार्यालयों में 28 अक्टूबर से 2 नवम्बर, 2013 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया था। वर्ष 2013 के लिए संदिग्ध अधिकारियों की ''सहमत सूची'' तथा ''संदिग्ध सत्यनिष्ठा के अधिकारियों'' की सूची तैयार की गई है तथा वर्ष 2013–14 के दौरान एपीआर की जांच की गयी है। इस अवधि के दौरान 3 विभागीय जांच शुरू की गई थी तथा 8 जांच पूरी की गई थी। 3 मामलों में भारी दण्ड लगाया गया था।

15.5 स्वतंत्र बाह्य मानीटरों की नियुक्ति (आईईएम)

कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों तथा नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एनएलसी) ने ट्रांस्पैरेंसी इंटरनेशनल के साथ सत्यनिष्ठता समघौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सीआईएल, इसकी सहायक कंपनियों तथा एनएलसी में केंघिय सर्तकता आयोग के परामर्श से 19 स्वतंत्र बाघ मानीटरों (आईईएम) को नियुघ किया गया है। सचिव, कोयला मंत्रालय के साथ आईईएम की वार्ता के बाद आईईएम की अभिविन्यास बैठक कोलकाता में 20.01.2014 को हुई थी।

15.6 सतर्कता कार्यकलापों की मानीटघ्रग और समीक्षा

सतर्कता मुघें की प्रगति की समीक्षा करने और इलैक्ट्रानिक तौल सेतु, आरएफआईडी और आईटी पहलकदमियों/कोल नेट से संबद्ध जीपीआरएस लगे ट्रक ट्रैघ्कग सिस्टम के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए कोल इंडिया इसकी सहायक कंपनियों और नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एनएलसी) तथा सीएमपीएफओ के मुख्य सतर्कता अधिकारियों के साथ आवधिक बैठके आयोजित की गई थी।

मुख्य सतर्कता अधिकारियों तथा सीएमडी सीआईएल और सीएमडी एनएलसी के साथ एक

पारस्परिक वार्ता सत्र 31 जनवरी, 2013 को सचिव कोयला मंत्रालय की अध्यक्षता में हुआ था तथा इसके बाद कोयला मंत्रालय के जेएस एंड सीवीओ के साथ मुख्य सतर्कता अधिकारियों का पारस्परिक वार्ता सत्र 28.06.2013 को हुआ था। सचिव का दूसरा पारस्परिक वार्ता सत्र मुख्य सतर्कता अधिकारियों के साथ 20.01.2014 को हुआ था। लंबित सतर्कता मामलों की समीक्षा, आईटी पहलकदमियों तथा नियमित सुधार के लिए उपायों के कार्यान्वयन की समीक्षा बैठकों में नियमित रूप से की जाती है।